न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 300 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 422)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सीमा सिंह पत्नी प्रशांतवीर सिंह जाति राजपूत निवासी श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू.– 31.10.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 17.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 116 / 114 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 1.164 हैक्टेयर भूमि में से वादिया के नाम से 0.036 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खाता में दर्ज रिकॉर्ड है। वादिया ने उक्त भूमि पूर्व खातेदार निरंजन सिंह पुत्र पाला सिंह से जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 05.05.2009 को खरीद हुई थी। उक्त जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटि के कारण वादिया का 3 / 194 हिस्सा यानि 0.018 हैक्टेयर प्रदर्शित हो रहा है और वादिया की जाति राजपूत के स्थान पर जटसिख प्रदर्शित हो रही है। जबकि वादिया के नाम वास्तव में 0.036 हैक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिए। उक्त टंकनीय त्रुटि के कारण वादिया का रकबा वर्तमान जमाबन्दी में कम हो गया है और इस कारण वादिया को हर समय भारी असुविधाओं का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड को संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। वर्तमान में अनुदान / ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान / ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 116 / 114 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 1.164 हैक्टेयर भूमि में से वादिया के नाम दर्ज 0.018 हैक्टेयर भूमि को 0.036 हैक्टेयर अंकित किया जाकर वादिया का नाम सीमा पत्नी प्रशान्तवीर सिंह जाति जटसिख के स्थान पर सीमा सिंह पत्नी प्रशान्तवीर सिंह जाति राजपूत दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 35 दिनांक 10.01.2024 व 1087 दिनांक 08.04.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक गत जमाबन्दी चक 13 ओ सम्वत 2072 ता 2075 में सीमा पत्नी प्रशान्तवीर व दर्शना पत्नी बिहारी लाल का हिस्सा 0.036 हैक्टेयर संयुक्त दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 में जरिए इन्तकाल 652 के सीमा पत्नी प्रशान्तवीर का हिस्सा 0.036 हैक्टेयर व इन्तकाल संख्या 659 से दर्शना पत्नी बिहारी लाल का हिस्सा 0.006 हैक्टेयर दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 114 में इन्द्र सिंह पुत्र पाला सिंह का हिस्सा 0.105 हैक्टेयर दर्ज है। लेकिन वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 116 में 0.113 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। अतः वर्तमान जमाबन्दी में दर्शना देवी पत्नी बिहारी लाल का हिस्सा 0.018 हैक्टेयर की बजाय 0.006 हैक्टेयर व इन्द्र सिंह पुत्र पाला सिंह का हिस्सा कम कर 0.107 हैक्टेयर तथा सीमा पत्नी प्रशान्तवीर सिंह का हिस्सा 0.036 हैक्टेयर किया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जाना उचित है। दर्शना देवी व ईन्द्र सिंह के सहमति पत्र प्रस्तुत किए। मार्मिक निवेदन किए गए।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया शपथ पत्र रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 116/114 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 78/73 की छायाप्रति, पंजीकृत बैयनामा दिनांक 05.05.2009 की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 116/114 में क्रम संख्या 37 पर अंकित सीमा पत्नी प्रशान्तवीरसिंह हिस्सा 0.018 हैक्टेयर जाति जटसिख साकिन श्रीकरणपुर के स्थान पर सीमा सिंह पत्नी प्रशान्तवीरसिंह हिस्सा 0.036 हैक्टेयर जाति राजपूत साकिन श्रीकरणपुर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में दर्शना देवी पत्नी बिहारी लाल का हिस्सा 0.018 हैक्टेयर की बजाय 0.006 हैक्टेयर व इन्द्र सिंह पुत्र पाला सिंह का हिस्सा कम कर 0.107 हैक्टेयर तथा सीमा पत्नी प्रशान्तवीर सिंह का हिस्सा 0.036 हैक्टेयर किया जाना उचित है। दर्शना देवी व ईन्द्र सिंह का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सही किया जाता है तो हमें कोई आपति एंव एतराज नहीं है।अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, दर्शना देवी व ईन्द्र सिंह के सहमति पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेशः—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 116/114 में क्रम संख्या 5 पर अंकित ईन्द्रसिंह पुत्र पालासिंह हिस्सा 0.113 हैक्टेयर के स्थान पर ईन्द्रसिंह पुत्र पालासिंह हिस्सा 0.107 हैक्टेयर, क्रम संख्या 14 पर अंकित दर्शना देवी पत्नी बिहारीलाल हिस्सा 0.018 हैक्टेयर के स्थान पर दर्शना देवी पत्नी बिहारीलाल हिस्सा 0.006 हैक्टेयर व क्रम संख्या 37 पर अंकित सीमा पत्नी प्रशान्तवीरसिंह हिस्सा 0.018 हैक्टेयर जाति जटसिख के स्थान पर सीमा सिंह पत्नी प्रशान्तवीरसिंह हिस्सा 0.036 हैक्टेयर जाति राजपूत दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सीमा सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 300/2023

निर्णय दिनांक :- 17.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 116/114 में क्रम संख्या 5 पर अंकित ईन्द्रसिंह पुत्र पालासिंह हिस्सा 0.113 हैक्टेयर के स्थान पर ईन्द्रसिंह पुत्र पालासिंह हिस्सा 0.107 हैक्टेयर, क्रम संख्या 14 पर अंकित दर्शना देवी पत्नी बिहारीलाल हिस्सा 0.018 हैक्टेयर के स्थान पर दर्शना देवी पत्नी बिहारीलाल हिस्सा 0.006 हैक्टेयर व क्रम संख्या 37 पर अंकित सीमा पत्नी प्रशान्तवीरसिंह हिस्सा 0.018 हैक्टेयर जाति जटसिख के स्थान पर सीमा सिंह पत्नी प्रशान्तवीरसिंह हिस्सा 0.036 हैक्टेयर जाति राजपूत दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 17.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 17.05.2024

क्रमांक: रीडर/2024/200
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर